अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

ायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बजईलास मलसीसर, जिला झुंझुनूं (राज0)

ासीन अधिकारीः– साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

रामचन्द्र बनाम रामकुमार वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ एवं विभाजन

मुकदमा नम्बर :– 83/2018

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 21.02.2022

यह मुबदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा 14.12.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, तथा तहसीलदार मलसीसर को निदेर्शित किया गया था कि राजस्व रिकाई में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/105 दिनांक 13.01.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21 माह 02 सन् 2022 को जारी की गई।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर)

21/2/22

साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर